अध्याय IV

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

4.1 भारत में पोत/विमान में आयातित माल पर सीमा शुल्क लागू होता है और जब तक कि ये आगमन बंदरगाह/हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी के लिए नहीं होते हैं तथा इन्हे किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर पारगमन करना होता है, आयातकों को उतारे गए माल की विस्तृत सीमा शुल्क निकासी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क व अन्य आवश्यक जानकारी का विवरण देने के लिए एक बीई दर्ज करना आवश्यक है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत, बीई को आईसगेट[47] के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है जिसे भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली, आईसीईएस[48] के रूप में जाना जाता है; । गैर-ईडीआई प्रणाली में, बीई को आयातक द्वारा दस्तावेजों के एक निर्धारित सेट के साथ मैन्युअल रूप से दायर किया जाता है।

4.2 सीमा शुल्क प्राधिकरणों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूट या लाभों पर उचित ध्यान देते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि क्या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और यदि उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/परमिट आदि की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से सीमा शुल्क टैरिफ में आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण, व्याख्याओं, अध्याय और खंड नोट आदि के नियमों का ध्यान रखना और शुल्क देयता का निर्धारण करना शामिल है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है; जहां माल का मूल्यांकन यथा मूल्य आधार पर निर्धारणीय है।

---

[47]आइसगेट का अर्थ है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे। आईसगेट एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके माध्यम से विभाग बीई (आयात वस्तुओं की घोषणा), शिपिंग बिल (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), ई-भुगतान, ऑन-लाइन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सहित कई सेवाएं प्रदान करता है। सीमा शुल्क व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/जानकारी के लिए एक डेटा और लिंक है।

[48] भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के दो पहलू हैं: (i) एक व्यापक, पेपरलेस, पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली के लिए कस्टम हाउस का आंतरिक स्वचालन (ii) आईगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित व्यापार, परिवहन, बैंको और नियामक एजेंसियों के साथ ऑनलाइन, रियल टाईम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस।

4.3 सीमा शुल्क हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए गए बीई आईसीईएस द्वारा आरएमएस[49] को प्रेषित किए जाते हैं। आरएमएस स्वचालित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से डेटा को संसाधित करता है और परिणाम इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण के रूप में प्राप्त होता है। यह निर्धारण निर्धारित करता है कि क्या बीई पर कार्रवाई की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्यूल मूल्यांकन या माल की जांच, या दोनों, या शुल्क के भुगतान के बाद निकासी और सीधे निकासी या बिना किसी निर्धारण और जांच के मंजूरी दे दी जाएगी। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या निकासी अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आरएमएस आधारित आईसीईएस और/या मूल्यांकन के माध्यम से आयातों की निकासी की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान किए जाने से पहले लागू अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूर्णत: पूरा किया गया हो।

4.4 आईसगेट की पूर्णत: स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक और कागजरहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में सृजित अखिल भारतीय संव्यवहार डेटा सीबीआईसी के अंतर्गत प्रणाली निदेशालय (डीजी/प्रणाली) में बनाए गए एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

वि.व. 19 के लिए आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अखिल भारतीय डेटा (जून 2019) बार-बार अनुरोध के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुआ। अखिल भारतीय संव्यवहारिक डेटा के अभाव में आईसीईएस के सीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा कराई गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। इस अध्याय में अनुपालन लेखापरीक्षा पर निष्कर्ष 48 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा सीमित लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष 2017-18 के आयात डेटा के डेटा विश्लेषण पर आधारित थे।

[49] जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक आईटी संचालित प्रणाली है, जिसके प्राथमिक उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन बनाना और सीमा शुल्क मंजूरी में स्व:-अनुपालन की प्रवृति को बढ़ावा देना है। यह व्यापार लेनदेन से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों की पहचान करने के लिए अर्थव्यवस्थापूर्ण मॉडलिंग का उपयोग करता है और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है तथा जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के स्तर के अनुसार सीमा शुल्क हस्तक्षेप के स्तर को निर्धारित करता है।

4.5 लेखापरीक्षा नमूना

2018-19 के दौरान कुल 1.22 करोड़ बीई और 1.34 करोड़ के एसबी तैयार किए गए, जिनमें से लेखापरीक्षा ने 4.09 लाख बीई (3.35 प्रतिशत) और 2.21 लाख एसबी (1.65 प्रतिशत) के नमूने का चयन किया। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में दस्तावेजों की जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (69 मामले) को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

दिसंबर 2019 से मई 2020 के दौरान मंत्रालय को भेजे गए नमूना जांच के निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया और पूर्ण संव्यवहारों की कुल संख्या पर जोखिम निर्धारित किया। डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को संबंधित पैराग्राफ में शामिल किया गया है।

4.6 लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये अधिनियम, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं आदि के अननुपालन के मामलों को वृहद रूप से निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. अधिसूचनाओं का गलत उपयोग **(पैराग्राफ 4.7 से 4.9)।**

II. आयात का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 4.10)।**

III. लागू उद्ग्रहण और अन्य शुल्कों का गलत उद्ग्रहण **(पैराग्राफ 4.11 और 4.12)।**

4.7 अधिसूचनाओं का गलत लागू किया जाना

जनवरी 2016 से मार्च 2019 के अवधि दौरान ₹55,031 करोड़ मूल्य के माल के आयात के लिए 39,816 बीई में से ₹2,378 करोड़ मूल्य के आयात के लिए 1,848 बीई की नमूना जाँच की गई जिसमें 11 मामलों (51 बीई) में विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुचित लागू किये जाने की अनियमितताओं का पता चला, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल था। कुल राजस्व निहितार्थ ₹4.93 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित लागू किये जाने के अलग-अलग मामलों को स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किया गया है। विभाग ने सभी 11 मामलों को स्वीकार किया और ₹3.52 करोड़ की वसूली की जिसमें ब्याज भी शामिल था। तीन मामलों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है और शेष मामलों को **अनुबंध 6** में शामिल किया गया है।

4.7.1 अधिसूचना के गलत लागू किये जाने के कारण आई फोन्स (स्मार्ट फोन्स) के आयात पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए प्रविष्ट माल के मामले में, किसी भी आयातित माल पर लागू शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर उस तारीख को प्रभावी दर और मूल्यांकन होगा जिस तारीख को अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत ऐसे माल के संबंध में प्रस्तुत किया गया हो। यदि बीई, पत्तन की आवक प्रविष्टि की तारीख से पहले प्रस्तुत की गई हो, तो बीई को ऐसी आवक प्रविष्टि की तरीख को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 91/2017-सीमा शुल्क (बीसीडी) के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 85171290 के अंतर्गत आने वाले क्र.सं.(ए)(ii) 'आई फोन (स्मार्ट फ़ोन्स)' पर 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगता है।

मेसर्स 'ए' इंडिया प्रा.लि. ने सीटीएच 85171290 के अंतर्गत मुंबई के सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुम्बई के माध्यम से 'एए' इंटरनेशनल, आयरलैंड से 'आई फोन (स्मार्ट फोन)' (सात बीई) का आयात किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि बीई 13 फरवरी 2017 को दाखिल किए गए थे और माल की इन सभी बीई की आवक प्रविष्टि की तारीख 14 दिसंबर 2017 थी। तदनुसार, अधिनियम की धारा 15 के परंतुक के अनुसार, इन मामलों में, आवक प्रविष्टि की तारीख को शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार, 14 दिसंबर 2017 को 15 प्रतिशत की दर से पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत बीसीडी 14 दिसंबर को लगाया जाना चाहिए। हालांकि विभाग ने 15 प्रतिशत की बजाय बीसीडी की कम दर अर्थात 10 प्रतिशत अपनाकर माल का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.11 करोड़ की बीसीडी और ₹0.13 करोड़ की आईजीएसटी का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ। इसके लिए आयातकों से लागू ब्याज के साथ वसूली जरूरी थी।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2018) विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया और ₹1.39 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली, सूचित की (अक्टूबर 2018) जिसमें ₹0.15 करोड़ का ब्याज भी शामिल था।

4.7.2 'कैमरा मॉड्यूल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' को दी गयी गलत छूट पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

बीसीडी का छूट लाभ 'प्रिंटेड सर्किट असेंबली और कैमरा' को तब तक उपलब्ध था जब तक कि इसे अधिसूचना संख्या 57/2017-सीयुएस दिनांक 30 जून 2017 की क्र.सं. 6(ए) जो 37/2018-सीयुएस दिनांक 02 अप्रैल 2018 द्वारा संशोधित की गयी, के अनुसार छूट लाभ से हटा नहीं दिया गया। तदनुसार, 2 अप्रैल 2018 से 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी आयातित माल 'कैमरा मॉड्यूल एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' पर उद्ग्राहय है।

मैसर्स 'बी' इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. और तीन अन्य ने 'कैमरा मॉड्यूल एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' (11 बीई) को सीटीएच 85177010, 85258020 और 85177090 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए आयात किया (अप्रैल 2018)। इन मामलों में बीई आवक प्रविष्टि तारीख (2 अप्रैल 2018 से 04 अप्रैल 2018) से पहले 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2018 को अग्रिम रूप से दाखिल किए गए थे। तथापि, विभाग ने आवक प्रविष्टि तारीख के बजाय बीई की तारीख को शुल्क अवधारण तारीख के रूप में मानते हुए निर्धारण किया और अधिसूचना संख्या 57/2017-सी.शु. क्र.सं. 6(ए) के अंतर्गत बीसीडी से छूट प्रदान की। बीसीडी का आवक प्रविष्टि तारीख अर्थात 2 अप्रैल 2018 को निर्धारण किया जाना चाहिए और 10 प्रतिशत की दर से लागू किया जाना चाहिए। अधिसूचना लाभ के गलत दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹91.27 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातकों से वसूल किया जाना आवश्यक था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, दिल्ली ने सूचित किया (मई 2019) कि तीन बीई ₹73.79 लाख के विभेदक शुल्क की आंशिक वसूली की गई, जिसमें में ₹8.76 लाख की ब्याज राशि भी शामिल थी और शेष आठ बीई के संबंध में जारी (अप्रैल 2019) पूर्व नोटिस परामर्श पत्र जारी किए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.7.3 न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) से से कम पर प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात

डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 38/2015-2016 दिनांक 5 फरवरी 2016 के अनुसार, सीटीएच 72085110 के अंतर्गत वर्गीकरणीय 10 एमएम से अधिक मोटाई के प्राइम हॉट रोल्ड स्टील प्लेट के आयात पर, 500 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) की एमआईपी लागू है। इसके अतिरिक्त डीजीएफटी ट्रेड नोटिस नंबर 17/2016 दिनांक 10 फरवरी 2016 में स्पष्ट किया गया है कि 5 फरवरी 2016 को या उसके बाद प्रभावित आयात को निर्धारित अमरीकी डालर इकाई मूल्य से कम पर भारत में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाएगा।

16 फरवरी 2016 को, मैसर्स 'सी' स्टील्स ने सीटीएच 72085110 के अंतर्गत 10 से 63 एमएम तक की मोटाई की प्राइम हॉट रोल्ड स्टील प्लेट के एक बीई का आयात किया, जिसमें माल की कीमत 295 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) से 380 अमरीकी डालर पीएमटी के रूप में घोषित की गई। आरएमएस द्वारा चिह्नित किए जाने पर निर्धारण और जाँच के बाद विभाग ने घोषित कीमत स्वीकार करते हुए माल की निकासी की (फरवरी 2016)। लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2017) से पता चला कि आयातित माल के लिए 500 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के एमआईपी को पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार नहीं अपनाया गया था। इसलिए, माल का निर्धारण करने के लिए निर्धारित एमआईपी को न अपनाने के परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूली करना जरूरी था।

यह इंगित किए जाने पर (फरवरी 2017), विभाग ने बताया (जनवरी 2019) कि एफटीडीआर अधिनियम 1992 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत आयातक को एससीएन जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

डीजीएफटी के स्पष्टीकरण के होते हुए भी कि निर्धारित अमरीकी डॉलर इकाई मूल्य से कम पर 05 फरवरी 2016 को या उसके बाद किए गए आयात को भारत में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाएगा, सीमा शुल्क विभाग ने इन प्रतिबंधित माल को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी। स्वचालित प्रणाली और आरएमएस में वैधीकरण नियंत्रण के रूप में इस प्रणालीगत चूक पर मंत्रालय (मई 2020) से टिप्पणी मांगी गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.8 आईजीएसटी अधिसूचनाओं के अंतर्गत कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

सभी आयातों को आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और तदनुसार लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयातों पर आईजीएसटी उगृहीत किया जाएगा। भारत में आयातित माल पर आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार उद्गृहित होगा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर उस समय लगाया जाएगा, जब सीमा शुल्क लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कुछ विलासिता और डी-मेरिट्स माल पर भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर उद्ग्राह्य है।

आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 (यथा संशोधित) की अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लगाया जाता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा आयात पर आईजीएसटी के उद्ग्रहण में छूट दे सकती है।

आईजीएसटी छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले दस[50] सीमा शुल्क क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से जुलाई 2017 (जब जीएसटी लागू किया गया था) से दिसंबर 2018 के दौरान 36,861 बीई के अंतर्गत ₹5,726 करोड़ का आयात किया गया था। इनमें से, ₹2,754 करोड़ (48 प्रतिशत) मूल्य के आयात के 5,135 बीई (14 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई। इस नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा में लागू आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण 21 मामलों (485 बीई) को देखा गया, जिनमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल है, जिसमें कुल राजस्व निहितार्थ ₹9.15 करोड़ है। 21 मामलों में से विभाग ने ₹7.20 करोड़ के राजस्व वाले 19 मामलों को स्वीकार किया है और 19 मामलों में ₹7.51 करोड़ की वसूली की है जिसमें ब्याज भी शामिल है।

आगामी पैराग्राफों में पांच मामलों पर चर्चा की गयी है और शेष मामलों का उल्लेख **अनुबंध 7** में किया गया है।

[50] एसीसी, बेंगलुरु, चेन्नई (सी), एसीसी-चेन्नई, एसीसी-मुंबई, एसीसी-एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो, मुंबई, आईसीडी-गढ़ी हरसरू, आईसीडी-रेवाड़ी, आईसीडी-तुगलकाबाद, एनसीएच-दिल्ली और कस्टम हाउस-पिपाव, जामनगर)

2017-18 की अवधि के आयात डेटा के विश्लेषण से 38 सीमा शुल्क पत्तनों[51] के माध्यम से आयातित 1161 अनुरूप परेषणो में आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण का पता चला। ₹19.72 करोड़ की राशि के राजस्व का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.1 'लिथियम आयन सेल' के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

आईजीएसटी पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV के क्र.सं. 139 के अंतर्गत 'लिथियम आयन सेल' पर 28 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य है।

मैसर्स 'डी' इंडिया लिमिटेड और दो अन्य ने सीटीएच 85076000 (12 बीई) के अंतर्गत सीमा शुल्क आयुक्तालय, पटपड़गंज, दिल्ली के अधीन आईसीडी गढ़ी हरसरू के माध्यम से 'लिथियम आयन सेल' का आयात किया। विभाग ने 18 प्रतिशत की दर (अनुसूची III क्र.सं. 376ए) से आईजीएसटी लगाते हुए आयातों की निकासी की। 'लिथियम आयन सेल (लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के भाग)' होने के नाते माल अनुसूची IV (क्र.सं. 139: लिथियम आयन बैटरी से इतर) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय था। तदनुसार, आयातित माल पर 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लागू था। इस प्रकार, 28 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत की कम आईजीएसटी दर को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹1.27 करोड़ की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

[51] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), नहवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), आईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), बेंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4), कोयंबटूर (आईएनसीजेबी4), कोचीन एयर कार्गो (आईएनसीओके4), आईसीडी पटपड़गंज (आईएनपीपीजी6), आईसीडी गढ़ी हरसरू (आईएनजीएचआर6), आईसीडी थार ड्राई पोर्ट-अहमदाबाद (आईएनएसएयू6), कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), आईसीडी बेंगलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), आईसीडी साहनेवाल कैंच (आईएनएसएनआई6), वाईजेक सी (आईएनवीटीजेड1), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), आईसीडी दादरी-एसटीपीएल (सीएफएस (आईएनएसटीटी6), दादरी-एसीपीएल (सीएफएस (आईएनएपीएल6), कोलकाता एयर कार्गो (आईएनसीसीयू4), आईसीडी सचिन-सूरत (आईएनएसएसी6), हैदराबाद (आईएनएसएनएफ6), बड़ौदा (आईएनबीआरसी6), कृष्णपट्टनम (आईएनकेआरआई1), अहमदाबाद एयर कार्गो (आईएनएएमडी4), लुधियाना (आईएनएलडीएच6), अहमदाबाद (आईएनएसएजे6), कनकपुरा-जयपुर आईसीडी (आईएनकेकेयू6), आईसीडी साहनेवाल जीआरएफएल (आईएनएसजीएफ6), हैदराबाद एयर कार्गो) आईएनएचवाईडी4, तिरुवल्लूर-आईएलपी आईसीडी (आईएनआईएलपी6), नोएडा-दादरी-आईसीडी (आईएनडीईआर6), साबरमती आईसीडी (आईएनएसबीआई6), फरीदाबाद (आईएनएफबीडी6), दादरी-सीजीएमएल (आईएनसीपीएल6), पांची गूजरन/सोनीपत आईसीडी (आईएनबीडीएम6), मुंबई सी (आईएनबीओएम1) , पिपावाव (विक्टर) पोर्ट (आईएनपीएवी1)

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2019), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए ₹1.40 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली सूचित की (जुलाई 2019) जिसमें ₹13 लाख का ब्याज शामिल था।

इन मामलों के अतिरिक्त डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान तीन सीमा शुल्क पत्तनों[52] के माध्यम से किए गए 'लिथियम आयन सेल' के 10 अन्य आयातों में आईजीएसटी को 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 18 प्रतिशत पर लगाया गया था। इनमें शुल्क निहितार्थ ₹68 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला मंत्रालय (अगस्त 2020) को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.2 पेन/पेंसिल के भागों के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

सीटीएच 9608/9609 के अंतर्गत वर्गीकरणीय पेन/पेंसिल पर 12 प्रतिशत (अनुसूची II क्र.सं. 232/233) की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहय है। हालांकि "पेन/पेंसिल के भाग" पर 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाया जाता हैं (अनुसूची III के क्र.सं. 453)।

मेसर्स 'ई' इंटरनेशनल लिमिटेड ने सीटीएच 9608 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए 'पेन/पेंसिल के भाग' (21 बीई) का आयात किया। विभाग ने 12 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाने के बाद उनकी निकासी की (अनुसूची II क्र.सं. 232/233)। 'एडाप्टर/रेगुलेटर्स (पेन/पेंसिल के भाग) होने के नाते माल अनुसूची III (क्र.सं. 453) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय थे और न कि अनुसूची II (क्र.सं. 232/233) के अंतर्गत। इसलिए, माल पर 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी को लगाया जाना था और न कि 12 प्रतिशत पर जैसाकि लागू किया गया। इस प्रकार, लागू 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की कम आईजीएसटी दर को अपनाने के कारण ₹1.27 करोड़ के आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और आयातक से ₹39.69 लाख के विभेदक शुल्क की आंशिक वसूली सूचित की (मई 2019) जिसमें ₹8.09 लाख की ब्याज राशि शामिल थी। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

[52] दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल), एनएचइवीए शेवा सी (आईएनएनएसए1), आईसीडी पड़पड़गंज (आईएनपीपीजी6)

आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि तीन सीमा शुल्क पत्तनों[53] के माध्यम से आयातित 'पेन/पैंसिल के भाग' के 11 अन्य आयातों में आईजीएसटी को 18 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 12 प्रतिशत पर लगाया गया था। इनमें शुल्क निहितार्थ ₹1.12 करोड़ था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.3 फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट

जब सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्करों, उपकरण, सहायक उपकरणों और उपभोज्य सामग्रियों जो अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.1996 में निर्दिष्ट है का आयात किया जाता है, तो इन पर 15 नवंबर 2017 से पांच प्रतिशत की दर से आईजीएसटी उद्ग्राह्य है, (अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 नवंबर 2017 जिसमें अधिसूचना संख्या 10/2018 दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा संशोधन किया गया)। पूर्व में, इन संगठनों द्वारा आयात को अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क के अंतर्गत आईजीएसटी लगाने से छूट दी गई थी।

मैसर्स 'एफ' फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा एक अन्य ने विभिन्न दवाओं और फार्मास्युटिकल उत्पादों (107 बीई) विभिन्न देशों से (i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी) मुंबई, और (ii) एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो, कूरियर सेल, मुंबई के माध्यम से आयात किया था (15 नवम्बर 2017 से 31 मार्च 2018)। आयातकों ने 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96 के अंतर्गत आईजीएसटी छूट का दावा किया था, जिसे विभाग द्वारा अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी। दिनांक 14 नवंबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार, आईजीएसटी 15 नवंबर 2017 से आयातित माल पर 5 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहाय था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप आयातित माल पर ₹99.09 लाख का आईजीएसटी नही लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि अधिसूचना संख्या 51/96 के विरुद्ध उसी अवधि के दौरान कुल ₹16.15 करोड़ की अतिरिक्त राशि का बचत शुल्क के रूप में दावा किया गया था।

[53] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4)

इसे बताए जाने पर (जून/नवंबर 2018/मार्च 2019) उप आयुक्त, सीमा शुल्क, एसीसी, मुंबई ने एक मामले में अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (दिसंबर 2018) कि आयातक को कम प्रभार सह मांग नोटिस जारी किया गया है।

हालांकि, एक अन्य मामले में, उप आयुक्त-मुंबई III ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार न करते हुए आयातक के उत्तर का समर्थन किया और बताया है (अगस्त 2019) कि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 में, माल और सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर निर्दिष्ट माल पर आईजीएसटी लगाने के प्रावधान करता हैं और यह ऐसा अधिनियम नहीं है जिसमें आयातित माल पर आईजीएसटी लगाने का प्रावधान हो। यह भी कहा गया है कि आयातित माल के संबंध में एकीकृत कर के लिए प्रभार लगाने वाली धारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) है और भारत में वैसे ही या समान माल की आपूर्ति होने पर आयातित माल पर आईजीएसटी की दर का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए उस उप धारा में आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 का संदर्भ है। इसलिए, यह माना गया कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए गए आयातों पर आईजीएसटी उद्ग्राह्य नहीं है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सभी आयातों को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा और तदनुसार, लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आईजीएसटी भी लगाया जाएगा। नवंबर 2019 में विभाग को इसकी सूचना दी गई थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जूलाई 2020)।

उपरोक्त दोनों मुद्दों पर विशिष्ट प्रतिक्रिया के अतिरिक्त, मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया कि वह 15 नवंबर 2017 से आईसीईएस के माध्यम से की गई निकासियों पर दिनांक 14 नवंबर 2017 की अधिसूचना का अनुपालन न करने के कारणों की जांच करे और कमियों के कारणों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करे और अन्य आयातों का भी ब्यौरा दे जिसका इस चूक के कारण आईसीईएस में गलत आईजीएसटी दर पर निर्धारण किया गया हो।

आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि चार सीमा शुल्क पत्तनो[54] के माध्यम से 15 नवंबर 2017 को या उसके बाद किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्करों, उपकरणो, सहायक उपकरणों और उपभोज्य माल के 26 समान आयातों को आईजीएसटी से छूट दी गई थी। शुल्क निहितार्थ का

[54] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), हैदराबाद एयर कार्गो (आईएनएचवाईडी4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4)

अनुद्ग्रहण ₹24 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.4 एल्युमिनियम एलॉय व्हील/डिस्क के आयात पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

ट्रैक्टर के कुछ भाग जैसे रियर ट्रैक्टर व्हील रिम, ट्रैक्टर सेंटर हाउसिंग, ट्रैक्टर हाउसिंग ट्रांसमिशन और ट्रैक्टर सपोर्ट फ्रंट एक्सल के आयात पर अनुसूची III क्र.सं. 402 के अंतर्गत 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता है। ट्रैक्टर के इन निर्दिष्ट भागों से इतर अन्य भागों और मोटर वाहनों की सहायक सामग्री पर 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता है (पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV के क्र.सं. 170)।

मोटर वाहनों के लिए 'एल्युमिनियम अलॉय व्हील/डिस्क' पर पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV की क्र.सं. 170 के अंतर्गत 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता है।

फरवरी 2018 से मई 2018 की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय पटपड़गंज, दिल्ली के अधीन आईसीडी-रेवाड़ी, के माध्यम से सीटीएच 87087000 के अंतर्गत ₹8.06 करोड़ मूल्य की कुल नौ बीई को "मोटर वाहनों के भाग और सहायक सामग्री" के आयात के लिए दाखिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹8.06 करोड़ के मूल्य वाले सभी 9 बीई की नमूना जाँच की और सभी 9 बीई में ₹93.94 लाख के आईजीएसटी के कम उद्ग्रहण को चिन्हित किया।

मेसर्स 'जी' प्रा.लि. ने 'एल्युमिनियम एलॉय व्हील/डिस्क' (नौ बीई) को सीटीएच 87087000 के अंतर्गत उन्हें वर्गीकृत करते हुए आयात (फरवरी से मई 2018) पर विभाग द्वारा 18 प्रतिशत की दर (अनुसूची III क्र.सं.402) पर आईजीएसटी लगाने के बाद निकासी की गई थी। माल 'एल्युमिनियम एलॉय व्हील/डिस्क होने के नाते और ट्रैक्टर के निर्दिष्ट भाग नहीं होने के नाते पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV (क्रम संख्या 170) के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय थे और उन पर 28 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाया जाना था। इस प्रकार, 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय कम आईजीएसटी दर 18 प्रतिशत को अपनाने के कारण ₹93.94 लाख की आईजीएसटी की का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और ₹1.06 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली (फरवरी / मार्च 2019) सूचित की जिसमें ₹12.11 लाख की ब्याज राशि शामिल थी।

इन मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि नहावा शेवा (समुद्र) और दिल्ली एयर कार्गो पोर्टस के माध्यम से आयातित एल्युमिनियम एलॉय व्हीलों के छह परेषणों में, पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 18 प्रतिशत पर आईजीएसटी लगाया गया था। शुल्क निहितार्थ ₹6 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.8.5 'टफ्टिड आर्टिफीशियल/पॉलीप्रोपाइलीन कारपेट' के आयात पर गलत दर लागू करने के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण

कारपेट और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, अन्य मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री से बने टफ्टिड सीटीएच 57033090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 12 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगता हैं (अधिसूचना संख्या 1/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची II की क्र.सं. 144)। कॉयर मैट, मैटिंग और फ्लोर कवरिंग जो सीटीएच 5705 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और उनपर 5% की दर से आईजीएसटी लगता हैं। (अधिसूचना संख्या 1/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची I की क्र.सं. 219)

जनवरी 2018 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान तुगलकाबाद, आयात आयुक्तालय, के माध्यम से ₹44.26 करोड़ मूल्य के 294 बीई के अंतर्गत सीटीएच 57033090 के आयात किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹27.28 करोड़ मूल्य वाले आयातों के 193 बीई की नमूना जाँच की गयी और ₹1.24 करोड़ के आयात वाले नौ बीई में ₹10.09 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण बताया। मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मैसर्स 'एच' एंटरप्राइसेज और दो अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'टफ्टेड आर्टिफिशियल/पॉलीप्रोपाइलीन कारपेट' (नौ बीई) का आयात किया (फरवरी 2018 से अगस्त 2018)। माल को सीटीएच 57033090 - अन्य कारपेट और अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, टफ्टिड जो अन्य मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री से बने थे, के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया और पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची II (क्र.सं. 144) के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से लागू आईजीएसटी की बजाय 5 प्रतिशत {अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची I की क्र.सं.219} की दर पर आईजीएसटी का निर्धारण किया। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत लागू करने के परिणामस्वरूप

₹10.09 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण, जिसे लागू ब्याज के साथ वसूलने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि क्र.सं. 219 टैरिफ शीर्ष 5705 के अंतर्गत वर्गीकृत माल पर लागू होती है, प्रणाली ने इस क्र.सं. का उपयोग करते हुए आईजीएसटी का भुगतान करने की आयातक को अनुमति दे दी, जबकि माल को "5703" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। बीई का निर्धारण प्रणाली द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसे आरएमएस द्वारा भी सत्यापन के लिए चिह्नित नहीं किया गया था । इस प्रकार, न तो घोषित वर्गीकरण से इतर वर्गीकरण पर लागू आईजीएसटी के उद्ग्रहण को रोकने के लिए कोई वैधीकरण था और न ही इसकी पहचान करने के लिए आरएमएस डिजाइन किया गया है।

विभाग ने ₹7.32 लाख की वसूली सूचित की (जुलाई 2019)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2020)।

4.9 अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क लाभ गलत तरीके से देने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. दिनांक 30 जुन 2017 (यथा संशोधिक) निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन शुल्कों की रियायती दर पर विभन्नि वस्तुओं की अनुमति देती है।

अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु.(यथा संशोधित) में निर्दिष्ट निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने नौ आयुक्तालयों[55] के माध्यम से 2017 से 2019 (फरवरी 2019 तक) के दौरान इस अधिसूचना के अंतर्गत किए गए सूखी फलीदार सब्जियों, मशीनरी और उसके भागो, "विमान के भागों" (सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 7, 84, 85 और 90) के आयात का विश्लेषण किया।

जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान अधिसूचना 50/2017 के अंतर्गत ₹737 करोड़ मूल्य के किए गए आयातों के 6,511 बीई में से, लेखापरीक्षा में ₹682 करोड़ (93 प्रतिशत) मूल्य के 4,987 बीई (77 प्रतिशत) की नमूना जांच की गई और ₹5.60 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के सात मामलों (127 बीई) में अननुपालन देखा गया।

[55] एनसीएच, दिल्ली, जेएनसीएच-मुंबई, आईसीडी-गढ़ी हरसरू-हरियाणा, कॉम-II; सीएच-चेन्नई, चेन्नई (सी), कोच्चि (सी), एसीसी-मुंबई, आईसीडी-इरुंगतुकोट्टई-तमिलनाडु और बेंगलुरू कमिश्नरियां

अगामी पैराग्राफों में तीन मामलों पर चर्चा की गयी है और शेष मामलों का उल्लेख अनुबंध 8 में किया गया है। विभाग ने ₹3.43 करोड़ के राजस्व वाले पांच मामलों को स्वीकार किया है और ₹3.80 करोड़ की वसूली की है जिसमें चार मामलों में ब्याज शामिल था।

आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला कि 22 सीमा शुल्क पत्तनो[56] के माध्यम से आयातित ऑटोमोटिव पार्ट्स, आइसक्रीम मशीनरी, मोटर पार्टस, गियर बॉक्स, सिलाई की मशीन आदि के 172 परेषणों को छूट अधिसूचना 50/2017-सी.शु. के लाभ की अनुमति दी गई थी। इसमें ₹7.94 करोड़ का राजस्व शामिल था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2020), उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

4.9.1 विमान के भागों के आयात मे अधिसूचना के छूट लाभ का गलत प्रदान किया जाना

अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क (यथा संशोधित) की क्र.सं. 547ए के लिए शर्त सं. 102 के अनुसार, विमान, विमान के इंजन और अन्य विमान के भाग जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 दिनांक 30 जून 2017 की अनुसूची II के 1 (बी) या 5 (एफ) के अंतर्गत आते हैं, को निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन आईजीएसटी से छूट दी गई है। इनमें से एक शर्त यह थी कि जिस अवधि के लिए उनकी एक लेनदेन के अंतर्गत आपूर्ति की गई थी, उस अवधि के समाप्त होने से तीन महीने के अन्दर माल का फिर से निर्यात किया जाए।

तदनुसार, आयातित माल, इंजन विमान भाग (मरम्मत के बाद वापसी) पर उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्र.सं. 316 के अंतर्गत 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगाई जाती है क्योंकि ये पुन: निर्यात के लिए नहीं थे। इसलिए अधिसूचना 50/2017-सी.शु. की क्र.सं. 547ए का लाभ आयातित माल को दिए जाने योग्य नहीं था।

[56] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), नहवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), कट्टुपल्ली (आईएनकेएटी1), बेंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4), कोचीन सी (आईएनसीओके1), आईसीडी पटपडगंज (आईएनपीपीजी6), आईसीडी गढ़ी हरसरू (आईएनजीएचआर6), वाइजेक सी (आईएनवीटीजेड1), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), दादरी-एसीपीएल (सीएफएस (आईएनएपीएल6), कोलकाता एयर कार्गो (आईएनसीसीयू4), आईसीडी बेंगलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), अहमदाबाद एयर कार्गो (आईएनएएमडी4), हैदराबाद आईसीडी (आईएनएसएनएफ6), नागपुर आईसीडी (आईएनएनजीपी6) लुधियाना (आईएनएलडीएच6), दादरी-सीजीएमएल (आईएनसीपीएल6), कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), जीआरएफएल आईसीडी-साहनेवाल (आईएनएसजीएफ6)

मेसर्स 'आई' लिमिटेड ने सीटीएच 84111200 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए "इंजन विमान भाग" (दो बीई) का आयात किया। विभाग ने पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत आईजीएसटी में छूट के बाद आयातित माल की निकासी की। लेखापरीक्षा में देखा गया कि माल का वास्तव में मरम्मत के बाद पुनः आयात किया गया था और उपयोग के बाद पुनः निर्यात नहीं किया गया था, इसलिए यह माल अधिसूचना 50/2017-सी.शु. की क्र.सं. 547ए के छूट लाभ के लिए अयोग्य थे। इसलिए आयातक द्वारा भुगतान किए गए मरम्मत प्रभारों पर आईजीएसटी में छूट देने के बजाय 18 प्रतिशत की दर से लगाया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप अधिसूचना लाभ के गलत प्रदान किए जाने के कारण ₹2.32 करोड़ की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ जिसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूली करने की आवश्यकता थी।

इसे बताए जाने पर (नवंबर 2018) कि, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और ₹2.83 करोड़ के विभेदक शुल्क की वसूली की सूचित की (मई 2019) जिसमें ₹50.81 लाख की ब्याज राशि शामिल थी।

4.9.2 आइसक्रीम बनाने वाली मशीनरी आयात के पर बीसीडी का कम उद्ग्रहण

सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 84 में अपात्र निर्दिष्ट न किए गए खाद्य या पेय के औद्योगिक तैयारी या विनिर्माण के लिए "मशीनरी" के आयात और सीटीएच 8438 के अंतर्गत वर्गीकरणीय माल पर अधिसूचना संख्या 50/2017 (क्र.सं. 458) के अंतर्गत 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी लगायी जाती है।

आयुक्तालय चेन्नई (समुद्र) के माध्यम से अधिसूचना 50-2017-सी.शु. के अन्तर्गत 2017 से 2019 के दौरान किए गए सीटीएच 8438 के अंतर्गत मशीनरी के आयातों के सभी 107 बीई लेखापरीक्षा में नमूना जांच की। आइसक्रीम के उत्पादन के लिए और इसके भागों के आयात (सीटीएच 84388090) के आठ बीई में, लेखा परीक्षा में गलत वर्गीकरण और बाद में छूट के गलत प्रदान किया जाना देखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹68.48 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह न्यायिक रूप से निर्णय दिया गया था कि "आइसक्रीम बनाने वाली मशीन" टैरिफ शीर्ष 8418 के अंतर्गत वर्गीकरणीय थी और न कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्ष 8438 के अंतर्गत तथा जीएसटी की दर टैरिफ शीर्ष 8418 लागू होगी (मेसर्स 'आईएल' प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अग्रिम

रूलिंग के लिए गुजरात प्राधिकार, दिनांक 05.02.2018)। तदनुसार, मशीनरी पर सीटीएच 8418 पर लागू 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाता है।

मेसर्स 'जे' एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से "आइसक्रीम बनाने वाली मशीनरी" (आठ बीई) का आयात किया (जनवरी 2019 से मार्च 2019)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सभी आयातों को सीटीएच 84388090 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था, जो कि इस मशीनरी को सीटीएच 8418 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए न्यायिक उद्घोषणा के बावजूद किया गया था। विभाग ने अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. (क्र.सं. 458) के अंतर्गत आयातित माल की निकासी की, जिसमें 7.5 प्रतिशत की बजाय रियायती बीसीडी (5 प्रतिशत) का उद्ग्रहण हुआ। माल के गलत वर्गीकरण और बाद में गलत छूट लाभ प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹68.48 लाख की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

आठ बीई में से पांच बीई का निर्धारण सिस्टम (आरएमएस) द्वारा किया गया और निर्धारण अधिकारी द्वारा तीन का निर्धारण किया गया।

इसके बारे में मंत्रालय (मई 2020) को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020) ।

4.9.3 'तेल के कुएं में प्रयुक्त उपकरण' के आयात के लिए गलत छूट

निर्दिष्ट ठेकों द्वारा किए गए पेट्रोलियम प्रचालनों के संबंध में आवश्यक मशीनरी और उपकरणों को अधिसूचना 50/2017 के क्र.सं. 404 (बी) के अंतर्गत बीसीडी लगाने से छूट दी गई है, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि आयातक को आयात के समय भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिसूचना की क्र.सं.557-बी में पट्टे के अंतर्गत आयातित माल के लिए आईजीएसटी लगाने से छूट, का इस शर्त के साथ प्रावधान किया गया है कि आयातक को आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट एक बांड निष्पादित करना अनुबंध पर अमल करना चाहिए ताकि वह स्वयं को आबद्ध कर सके:-

(i) आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत उद्ग्राह्य आईजीएसटी का भुगतान करना;

(ii) सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना माल को न बेचना;

(iii) जिस अवधि के लिए माल की आपूर्ति की गई थी, उसके समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर माल को फिर से निर्यात करन; उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में उक्त माल पर देय आईजीएसटी के बराबर राशि को मांग करने पर भुगतान करना।

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान अधिसूचना 50/2017 की क्र.सं.404 (बी) और क्र.सं.557-बी के अंतर्गत चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से दाखिल किए गए 456 बीई में से ₹11.53 करोड़ के निर्धाय मूल्य वाले 24 बीई में की गई नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने बताया कि आईजीएसटी की 'शून्य' दर के अंतर्गत माल की निकासी की गई थी।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से आयातित (अक्टूबर से फरवरी 2019) 'तेल के कुएं के प्रयुक्त उपकरण' को पूर्वोक्त अधिसूचना के क्र.सं. के अंतर्गत बीसीडी और आईजीएसटी से छूट दी गई थी। तथापि, उक्त अधिसूचना के क्र.सं. 404 (बी) के अंतर्गत बीसीडी की छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र आयातकों द्वारा माल आयात के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। नमूना जांच के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मंत्रालय) ने 18 मामलों में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए विभाग से मंगवाए गए थे।

इसके उत्तर में (जनवरी 2020) विभाग ने 13 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और शेष पांच मामलों के लिए विभाग ने बताया कि आयातकों से अभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने है। चूंकि बीसीडी की छूट का दावा करने के लिए बीई दाखिल करने के समय मंत्रालय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने थे, इसलिए उत्तर से साबित हो गया कि विभाग ने अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया था।

क्र.सं. 557-बी के अंतर्गत आईजीएसटी की छूट के संबंध में, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आईसीईएस में पाए गए पट्टे के अंतर्गत माल का आयात किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का आयात के समय पालन किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या तीन माह की निर्धारित अवधि के अन्दर माल का दोबारा निर्यात किया गया। उपरोक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, आयातक विभेदक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

इस बारे में (मई 2020) बताया गया और मंत्रालय को उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.10 माल का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है। लागू शुल्क का उद्ग्रहण आयातित वस्तुओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

30759 बीई के अंतर्गत अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान ₹15,011 करोड़ के मूल्य के माल का आयात किया गया। लेखापरीक्षा में ₹4,850 करोड़ के मूल्य के आयात के लिए 4,333 बीई की नमूना जांच की गई और 1,644 बीई (30 मामलों) में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया गया। गलत वर्गीकरण के इन तीस मामलों को इस अध्याय में शामिल किया गया है, जिनमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ शामिल हैं, जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹19.84 करोड़ है। ₹10 लाख से कम धन मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के अलग-अलग मामलों की सूचना स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से दी गई है।

गलत वर्गीकरण के 30 मामलों में से सात मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है और शेष मामलों को **अनुबंध 9** में सूचीबद्ध किया गया है। विभाग ने ₹9.70 करोड़ वाले 23 मामलों को स्वीकार किया था और 14 मामलों में ₹8.46 करोड़ की वसूली की थी।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आईसीईएस डेटा के विश्लेषण से पोल्ट्री मशीनरी, विमान के भाग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरणों, सीसीटीवी कैमरा, प्रसारण उपकरणों, कागज और पेपर बोर्ड, प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं आदि के गलत वर्गीकरण का पता चला जो 49 सीमा शुल्क पत्तनो[57] के माध्यम से आयातित 2,768 परेषणों में ₹141 करोड़ की राशि के शुल्क के परिणामी कम

[57] मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), नहेवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), कट्टुपल्ली (आईएनकेएटी1), बंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4), चेन्नई एयर कार्गो (आईएनएमएए4), कोचिनसी (आईएनसीओके1), आईसीडी पटपरगंज (आईएनपीपीजी6), आईसीडी जीएआरएचआई एचएआरएसएआरयू (आईएनजीआईएनजी 6), विजाक सी (आईएनवीटीजेड1), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), दादरी-एसीपीएल (सीएफएस (आईएनएपीएल6), कोलकाता एयर कार्गो (आईएनसीसीयू4), आईईसीडी बंगलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), अहमदाबाद एयर कार्गो (आईएनएएमडी4), हैदराबाद आईसीडी (आईएनएसएनएफ6), आईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), दादरी-सीजीएमएल (आईएनसीपीएल6) , कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), कोचीन एयर कार्गो (आईएनसीओके4), दादरी-एसटीटीपीएल-सीएफएस (आईएनएसटीटी6), आईसीडी खुर्जा (आईएनएआईके6), पिपावाव (विक्टर) पोर्ट (आईएनपीएवी1), डाबोलिम (आईएनजीओआई4), हैदराबाद एयर कार्गो (आईएनएचवाईडी4), जयपुर एयर कार्गो (आईएनजेएआई4), राजासांसी-अमृतसर (आईएनएटीक्यू4), मुंबई सी (आईएनबीओएम1), त्रिवेणीड्रन एयर कार्गो (आईएनटीआरवी4), मंगलौर सी (आईएनएनएमएल1), कृष्णापट्टनम (आईएनकेआरआई1)

उद्ग्रहण/अनुद्ग्राह्य वाला है। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

4.10.1 क्लियर फ्लोट ग्लास का 'नॉन वायर्ड ग्लास' के रूप में गलत वर्गीकरण

क्लियर फ्लोट ग्लास पारदर्शी होता है और उच्च दृश्यमान प्रकाश संचारण प्रदान करता है। इसमें कोई शोषक, परावर्तन परत नहीं है और यह सीटीएच 70052990 के अंतर्गत 5 प्रतिशत की दर से बीसीडी को लगाते हुए 'अन्य नॉन वायर्ड ग्लास' (अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु., क्र.सं.935) के रूप में वर्गीकरणीय है जब एशियायी देशों से इसका आयात किया जाता है ।

मेसर्स 'के' एंटरप्राइजेज लिमिटेड और 19 अन्य फर्मों ने (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) चेन्नई (समुद्र) और कोच्चि (समुद्र) आयुक्तालयों के माध्यम से 'फ्लोट ग्लास' (249 बीई) का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 70051090 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था और बीसीडी से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹4.34 करोड़ की शुल्क का उद्ग्रहण नही हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित माल साफ थे और किसी शोषक, परावर्तन या गैर-परावर्तन परत से लेपित नहीं थे, तदनुसार, इन्हें सीटीएच 70052990 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाना था और और पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में 5 प्रतिशत पर बीसीडी उद्ग्राह्य था।

इसे बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त 2018) सीमा शुल्क प्राधिकारियों, कोचीन ने कहा (सितंबर 2019) कि ग्लासेज की संरचना सोडा लाइम सिलिका आधारित ग्लास थी जिसमें अन्य छोटे घटक थे। ग्लास की सतहों को पॉलिश नहीं किया वे बिना रंगे हुए नॉन-वायर्ड होते हैं और निर्दिष्ट नहीं किए जाते। विभाग ने आगे कहा कि आयात के जाँच के परिणामों से पता चलता है कि ग्लास के एक तरफ "टिन की एक शोषक परत" देखी गई जो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अंतर्गत फ्लोरोसेंट है। तदनुसार, जाँच परिणाम को देखते हुए, आयातित माल क्लियर फ्लोट ग्लास हैं और सीटीएच 70051090 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किए गए हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि:-

(क) फ्लोट ग्लास की विनिर्माण प्रक्रिया में पिघले हुए टिन की दर्पण जैसी सतह पर पिघला हुआ ग्लास शामिल है, जो पिघले हुए टिन के एक बेड पर 600 डिग्री सेल्सियस पर एक ठोस रिबन के रूप में फ्लोट बाथ को छोड़ने के लिए 1,100 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है जो अपरिहार्य रूप से ग्लास के

एक तरफ थर्मल प्रसार द्वारा टिन का परिचय देता है। इस प्रकार निर्मित ग्लास क्लियर फ्लोट ग्लास होता है, जिसका एक तरफ टिन साइड और दूसरी तरफ हवा की ओर जाना जाता है। फ्लोट प्रक्रिया के अंतर्गत विनिर्मित सभी ग्लास, (क्लियर, लेपित या रंगा हुआ) हमेशा एक तरफ टिन की एक परत होती है, जिसका मतलब यह नहीं है कि सभी फ्लोट ग्लास को 70051090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है।

(ख) इसके अतिरिक्त, जाँच रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि ग्लास न तो "रंगा हुआ" है और न ही "वायर्ड" । इसलिए, सीटीएच 70052110 (रंगा हुआ के लिए) या सीटीएच 70053010 (वायर्ड ग्लास) के अंतर्गत ग्लास को वर्गीकृत करने की संभावना को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, आयातित माल का सीटीएच 70052990 "अन्य" के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है और 5 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाई जानी है।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, डेटा के विश्लेषण (2017-18) से पता चला कि 27 सीमा शुल्क पत्तनो[58] के माध्यम से किए गए "क्लियर फ्लोट ग्लास" के अन्य 592 आयातों में बीसीडी को पांच प्रतिशत की लागू दर में छूट दी गई थी। इसमें ₹13.39 करोड़ का शुल्क शामिल थी। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

[58] अंकलेश्वर (आईएनएकेवी6), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), विजाक सी (आईएनवीटीजेड1), नहेवा शेवा सी (आईएनएनएसए1), हजीरा सूरत (आईएनएचजेडए1), आईसीडी बनहलुरू (आईएनडब्लूएफडी6), मुंद्रा (आईएनएमयूएन1), कोचीन सी (आईएनसीओके1), हाइड्राबाद (आईएनएसएनएफ6), गढ़ी हरसरू (आईएनजीएचआर6), पिपावाव (विक्टर) पोर्ट (आईएनपीएवी1), तूतीकोरिन आईसीडी आईईसीडी (आईएनटीयूटी6), जीआरएफएल आईसीडी साहनेवाल (आईएनएसजीएफ6), आईसीडी कानपुर-जेरी (आईएनएनयू6), लुधियाना (आईएनएनयू6), लुधियाना (आईएन एलएलडीएच6), कोलकाता सी (आईएनसीसीयू1), तूतीकोरिन सी (आईएनटीयूटी1), आईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), थार ड्राई पोर्ट-अहमदाबाद आईसीडी (आईएनएसएयू6), सीएमटीएल आईसीडी/थिम्मापुर (आईएनटीएमएक्स6), आईसीडी लोनी (आईएनटीयूटी1)एलओएन6), पावरखेड़ा आईसीडी/ढंडारी कलां (आईएनडीडीएल6), कनेच आईसीडी/साहनेवाल (आईएनएसएनआई6), कृष्णपट्टनम (आईएनएसएनआई6), केएलपीपीएल-आईसीडी/पनकी (आईएनपीएनके6), कटुपल्ली (आईएनकेएटी1), पीथमपुर (आईएनआईएनडी6)

4.10.2 विस्कोस फाइबर के साथ मिश्रित पॉलिएस्टर वुवन फैब्रिक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के वुवन फैब्रिक के रूप में गलत वर्गीकरण

'पॉलीस्टर स्टेबल फाइबर के अन्य वुवन फैब्रिक के मुख्य रूप से या एकमात्र रूप में विस्कोसे रेयान स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित होने पर सीटीएच 551511 के अंतर्गत 20 प्रतिशत या ₹ 40 प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक है। की दर से बीसीडी को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, अपहोल्स्टरी पॉलिएस्टर फैब्रिक से इतर – 'वुवन फैब्रिक के वजन से 85 प्रतिशत या उससे अधिक वजन वाला 'टेक्सचर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स' और 'स्ट्रिप या उसके जैसे से प्राप्त अन्य वुवन फैब्रिक' क्रमशः सीटीएच 54075300 और 54072090 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य हैं।

मेसर्स 'एल' आयातक ने (जुलाई 2017 से जून 2018) सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद के अंतर्गत आईसीडी, संथनगर के माध्यम से 'पॉलिएस्टर वुवन फैब्रिक 58' के 12 बीई का आयात किया था। विभाग ने सीटीएच 54072090//54075300 के अंतर्गत वर्गीकरण करते हुए माल की निकासी की और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी का उद्ग्रहण किया। माल सीटीएच 551511 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीरणीय था और तत्कालीन मामले में ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से बीसीडी लगायी जानी थी। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.74 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके लिए आयातकों से लागू ब्याज के साथ वसूली जरूरी थी।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2019), विभाग ने अभ्युक्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2019) कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर, माल सीटीएच 5407 और 551511 के अंतर्गत वर्गीकरणीय था। विभाग ने आगे कहा कि चूंकि आयातक जाँच रिपोर्ट में सुझाए गए दो सीटीएच विवरणों के बीच कुल आयातित माल की मात्रा निर्धारित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उन्होंने उच्चतम शुल्क दर पर निर्धारण करने का अनुरोध किया । तदनुसार, माल को सीटीएच 5407 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और शुल्क की उच्चतम दर पर निर्धारण किया गया था। गलत वर्गीकरण के कारण आयातक से ₹1.36 करोड़ की वसूली की गई।

सीटीएच 5515 के बजाय सीटीएच 5407 के अंतर्गत आयातित कुछ माल के वर्गीकरण के लिए विभाग का उत्तर मान्य नहीं था जैसाकि आयातित माल का विवरण वही था जो सीटीएच 5515 के अन्य बीई में था। तदनुसार, यह सीटीएच

551511 के अंतर्गत वर्गीकरणीय था और आयातक से 2.74 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी और न कि ₹1.36 करोड़ की राशि ।

नमूना जांच किए गए इन मामलों के अतिरिक्त आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान नौ सीमा शुल्क पत्तनो'[59] के माध्यम से किए गए 'पॉलिएस्टर वुवन फैब्रिक 58 के 117 समान आयात में बीसीडी को ₹40 प्रति वर्ग मीटर की लागू दर के बजाय 10 प्रतिशत पर लगाया गया था। परिणामस्वरूप ₹11.51 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था की प्रतीक्षा है (सितंबर 2020)।

4.10.3 ट्रांसमिशन नेटवर्क इंटरफेस उपकरणों का इसके भागों के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाना

'स्विचिंग और रूटिंग सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के रिसेप्शन, कन्वर्शन और ट्रांसमिशन या रीजनरेशन के लिए अन्य मशीनें को सीटीएच 85176290 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं जिन पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती हैं। जबकि, 'आवाज, छवियों या अन्य डेटा के ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के पार्ट्स सीटीएच 85177090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और बीसीडी से छूट दी गई है।

मेसर्स 'एम' लिमिटेड ने एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 85177090 के अंतर्गत वर्गीकृत करते हुए को विभिन्न प्रकार के 'मल्टी रेट पोर्ट इंटरफेस कार्ड/नेटवर्क डिवाइस' का आयात किया (फरवरी 2018)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड/नेटवर्क डिवाइस हैं न कि इसके भाग। तदनुसार, सीटीएच 85176290 के अंतर्गत आयातित माल रिसेप्शन, कन्वर्शन और ट्रांसमिशन या आवाज, छवियों या अन्य डेटा के रीजनरेशन के लिए अन्य मशीनों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें स्विचिंग और रूटिंग शामिल है और 'शून्य' दर के बजाय लागू 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.29 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

[59] नहावा शेवा सी (आईएनएनएसए1), मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), आईसीडी मुलुंड (आईएनएमयूएल6), मुंबई सेज (आईएनबीओएम6), आईईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), फरीदाबाद (आईएनएफबीडी6), दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), बंगलुरू एयर कार्गो (आईएनबीएलआर4)

इसे बताए जाने पर (मई 2018/जनवरी 2019), प्रधान आयुक्त, एनसीएच, नई दिल्ली ने ₹1.43 लाख के ब्याज के साथ 1.29 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2019)।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से दिल्ली एयर कार्गो और मुंबई एयर कार्गो सीमा शुल्क पत्तनो के माध्यम से आयातित ट्रांसमिशन उपकरणों के 23 परेषणों में बीसीडी की अनियमित छूट का पता चला। शुल्क का कम उद्ग्रहण ₹19 लाख थी। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.10.4 मोबाइल फोन के रिसीवर का माइक्रोफोन, स्पीकर के भागों के रूप में गलत वर्गीकृत करना

मोबाइल फोन का रिसीवर सीटीएच 85182900 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 15 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती है। माइक्रोफोन, स्पीकर के भाग सीटीएच 85189000 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी के लिए निर्धारणीय हैं।

मैसर्स 'एन' टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और छह अन्य ने, एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से 1206 बीई के अंतर्गत 'मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए रिसीवर' का आयात किया (फरवरी से नवंबर 2018)। माल को सीटीएच 85189000 -माइक्रोफोन, स्पीकर आदि के भाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण किया गया।

चूंकि आयातित माल 'मोबाइल फोन के लिए रिसीवर थे', इसलिए उनका सीटीएच 85182900-अन्य के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाना है और 10 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी उदग्राहय हैं। इस प्रकार आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.99 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (नवंबर 2018/जनवरी और मई, 2019), विभाग ने दो आयातकों से ब्याज सहित ₹3.94 करोड़ की वसूली की सूचना दी है और शेष पांच आयातकों को पूर्व नोटिस परामर्श जारी किया है।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से दिल्ली एयर कार्गो सीमा शुल्क पत्तन के माध्यम से आयातित मोबाइल फोन रिसीवर के 10 परेषणों में गलत निर्धारण का पता चला। 15 प्रतिशत की

लागू दर के बजाय 10 प्रतिशत पर बीसीडी का उद्ग्रहण हुआ। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.10.5 क्रूड पाम स्टीरिन का गलत वर्गीकरण

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 31/2011 दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा स्पष्ट किया कि 'क्रूड पाम स्टेरिन' का निर्धारण सीटीएच 38231111 के अंतर्गत किया जाएगा और अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को तदनुसार सभी लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।

कोलकाता (पत्तन) आयुक्तालय के माध्यम से मैसर्स ओ लिमिटेड ने क्रूड पाम स्टेरिन के परेषण का आयात किया (फरवरी 2008) और 10 प्रतिशत की दर से शुल्क का अनन्तिम रूप से भुगतान किया गया, जिसमें आयात को सीटीएच 15111000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। आयातक ने रासायनिक जाँच रिपोर्ट के बाद बिल को अंतिम रूप देने के लिए अनंतिम शुल्क जाँच बांड और बैंक गारंटी का निष्पादन किया।

पाम स्टीरिन के रूप में माल के विवरण की पुष्टि करने वाली जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बांड को रद्द कर दिया गया (मार्च 2017) और विभाग ने उपरोक्त परिपत्र का उल्लंघन करते हुए, क्रूड पाम स्टीरिन को सीटीएच 38231111 के बजाय सीटीएच 15111000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के सीमा शुल्क का कम भुगतान हुआ।

यह मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

4.10.6 गियर बॉक्स और मोटर वाहनों के कुछ भागो को ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक्स के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाना

मोटर वाहनों के लिए गियर बॉक्स और उसके भाग सीटीएच 87084000 के अंतर्गत 'मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण' के रूप में वर्गीकरणीय हैं, और 10/15 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती हैं। जबकि, सीटीएच 84831099 में अन्य ट्रांसमिशन शाफ्ट (कैमरा शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सहित) और क्रैंक; बीयरिंग हाउसिंग और प्लेन शाफ्ट बीयरिंग; गियर और गियर रिंग को शामिल करते हुए 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगायी जाती है।

जुलाई 2017 से मई 2018 की अवधि के दौरान, आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से आयात के लिए दाखिल किए गए ₹65.04 करोड़ मूल्य के 2,771 बीई में से, लेखापरीक्षा ने सीटीएच 84831099 के अंतर्गत ₹8.82 करोड़ मूल्य के 70 बीई की नमूना जांच की।

मैसर्स 'पी' ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने "फोर्क/योके 5वीं और रिवर्स गियर शिफ्ट" (70 बीई) का आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से आयात किया (जुलाई 2017 से मई 2018)। माल को सीटीएच 84831099 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी का उद्ग्रहण करते हुए निकासी की। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित माल मोटर वाहनों-गियर बॉक्स और उसके कुछ भागो के भाग थे और उन्हें सीटीएच 87084000 -गियर बॉक्स और मोटर वाहनों के भागो के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और 10/15 प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण होना चाहिए। इस प्रकार आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.91 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने ब्याज के साथ ₹56.91 लाख की शुल्क मांग की पुष्टि की (फरवरी 2020)। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

नमूना जांच किए गए मामलों के अतिरिक्त, आयात डेटा (2017-18) के विश्लेषण से पता चला है कि आठ सीमा शुल्क पत्तनो[60] के माध्यम से किए गए गियर बॉक्स और मोटर वाहनों के भागों के 99 समान आयात को गलत वर्गीकृत किया गया था । बीसीडी को 15 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 7.5 प्रतिशत लगाया गया था। इसमें शामिल ₹1.09 करोड़ शुल्क का कम उद्ग्रहण था। सीबीआईसी इन मामलों की जांच कर सकता है सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मामला अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2020)।

[60] दिल्ली एयर कार्गो (आईएनडीइएल4), आईसीडी पट्परगंज (आईएनपीपीजी6), चेन्नई सी (आईएनएमएए1), कट्टुपल्ली (आईएनकेएटी1), मुंबई एयर कार्गो (आईएनबीओएम4), आईईसीडी तुगलकाबाद (आईएनटीकेडी6), एनएचइवीए शेवा सी (आईएनएनएसए1), दादरी-एसीपीएल सीएफएस (आईएनएपीएल6)

4.10.7 राईस फ्लेक्स को 'सब्जियों, फल, नट या पौधों के अन्य भागों की तैयारी 'के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाना

राईस फ्लेक्स, जिन्हें फुलावट या भूनने से कुरकुरा बनाया गया है, सीटीएच 1904 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के लिए उद्ग्राह्य हैं।

मेसर्स 'क्यू' इंडिया लिमिटेड ने जेएनसीएच, मुंबई के माध्यम से 'विभिन्न फ्लेवर के राईस फ्लेक्स ' (आठ बीई) का आयात किया गया (अप्रैल 2017 से जनवरी 2018)। विभाग ने माल को सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 90 के अंतर्गत 'राईस फ्लेक्स ' अर्थात सब्जियों, फल, नट या पौधों के अन्य भागो की तैयारी में वर्गीकृत किया और 12 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी का उद्ग्रहण करते हुए उसका निर्धारण किया।

हालांकि, राइस फ्लेक सीटीएस 1904 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, जिस पर 18 प्रतिशत की दर पर आईजीएसटी उद्ग्रहण किया जाता है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹43.14 लाख तक के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

यह आगे पाया गया कि इन बीई के लिए कोई निर्धारण या जाँच निर्धारित नहीं की गई थी क्योंकि वे एक लेखापरीक्षित क्लाइंट द्वारा प्राधिकृत अर्थिक प्रचालक (एईओ)[61] वर्ग के साथ फाइल किए गए थे। बीई का गलत वर्गीकरण के बावजूद प्रणाली द्वारा निपटान किया गया है, जिसे नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था। मंत्रालय आयातक द्वारा किए गए समान आयातों के लिए एइओ की अनुवर्ती ओनसाइट पश्च मंजूरी लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) भी कर सकता है।

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के मामलों के अतिरिक्त, आयात शुल्क डेटा (2017-18) के विश्लेषण में सीमा शुल्क पोर्ट न्हावा शेवा (समुद्र), मुम्बई (एयर कार्गो) तथा दिल्ली (एयर कार्गो) के द्वारा किए राइस फलेक्स के पाँच समान आयातों के गलत वर्गीकरण का पता चला। 18 प्रतिशत की लागू दर की बजाय 12 प्रतिशत की दर पर आईजीएसटी का उद्ग्रहण किया गया था। शामिल राजस्व

[61] एक अधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) को माल के अंतर्राष्ट्रीय संचलन में शामिल एक पार्टी के रूप में परिभाषित किया गया है, किसी भी कार्य में, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) या समकक्ष आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के रूप में एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

₹37 लाख था। सीबीआईसी इन मामलों की जाँच कर सकता है तथा सुधारात्मक कार्यवाई भी कर सकता है।

मामले को अगस्त 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2020)।

4.11 लागू शुल्कों की कम/गैर-वसूली तथा अन्य अनियमितताए

₹2,134 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 6,881 बीई में से, लेखापरीक्षा में ₹15,22 करोड़ वाली 4,295 बीई की जाँच की गई। संवीक्षा में 11 मामलों (131 बीई) का पता चला, जिनमे प्रत्येक में ₹10 लाख या अधिक का राजस्व निहितार्थ शामिल है, जहाँ आयात लागू उद्ग्रहण के अनुसार नहीं थे। कुल राजस्व निहितार्थ ₹14.84 करोड़ था।

11 मामलों में से, दो मामलों की नीचे दिए गए पैराग्राफ में चर्चा की गई है तथा शेष 9 मामले **अनुबंध 10** में दिए गए है। विभाग ने ₹13.87 करोड़ के पाँच मामलों को स्वीकार किया तथा दो मामले में ₹74 लाख वसूल किए गए थे।

4.11.1 माल के कम मूल्यनिर्धारण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 के खंड (iii) के साथ पठित सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली 2007 के नियम 12 के अनुसार, जब उपयुक्त अधिकारी के पास किसी आयातित वस्तुओं के संबंध में घोषित मूल्य की सटीकता या सत्य की शंका के कारण है, तो वह ऐसी वस्तुओं के आयातकों से दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर सकता है तथा यदि, ऐसी अन्य जानकरी प्राप्त करने के पश्चात, या ऐसे आयातकों के उत्तर के अभाव में, उपयुक्त अधिकारी को घोषित मूल्य की सटीकता या सत्यता के बारे में अभी भी शंका है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे आयातित माल के लेनदेन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा घोषित मूल्य को अस्वीकार कर सकते है।

409 बीई के अधीन निर्यात आयुक्तालय, एयर कार्गो काम्पलेक्स (एसीसी), मुम्बई, के द्वारा 2017-18 की अवधि के दौरान ₹204.86 करोड़ मूल्य पर मयूपीरोसिन यूएसपी का आयात किया गया, लेखापरीक्षा ने ₹192.95 करोड़ के आयात मूल्य वाली 205 बीई की नमूना जाँच की तथा ₹66.33 करोड़ के आयातों सहित 9 बीई में ₹12.26 करोड़ की राशि का कम उद्ग्रहण सूचित किया।

मै. 'आर' फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने 14 बीई के अधीन 17 अप्रैल 2017 से 13 मार्च 2018 के दौरान एसीसी, मुम्बई के द्वारा हंगरी से ₹54.69 करोड़ के मूल्य का 'मुपीरोसिन यूएसपी' आयात किया था। आयातकों ने नौ बीई में यूएसडी 2200 प्रति किलोग्राम तथा पाँच बीई में यूएसडी 6,950 प्रति किलोग्राम की दर पर माल की कीमत घोषित की थी। विभाग ने उसी घोषित कीमत को स्वीकार कर माल का निर्धारण किया था।

लेखापरीक्षा ने बीई के इन दोनों सेटों में देखा कि माल विवरण में एकसमान/एकरूप है तथा मूल देश तथा माल के आपूर्तिकर्ता भी समान थे। इसीलिए, विभाग को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 9 बीई में न्यूनतम यूनिट मूल्य को अस्वीकार करने के लिए उचित कारण थे। ऐसा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹45.33 करोड़ के माल का कम निर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹12.26 करोड़ तक के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह बताए जाने पर (नवम्बर 2018/मार्च 2019), विभाग ने सूचना दी (दिसम्बर 2018) कि ₹12.26 करोड़ तक लागू सीमा शुल्क के भुगतान के लिए आयातकों को कम प्रभार मांग नोटिस जारी किया गया था। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

मंत्रालय को आरएमएस में जोखिम कारकों में से एक के रूप में उसी आपूर्तिकर्ता से समान/एकरूप मद के आयात के संबंध में ऐसी बड़ी मूल्य भिन्नताओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे मामलों में मूल्यनिर्धारण की जाँच की जा सके।

4.11.2 लागू एन्टी-डम्पिंग शुल्क (एडीडी) के उद्ग्रहण के बिना निकासी किए गए आयात

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जब किसी भी देश से कोई वस्तु भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यातित की जाती है, तब भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर, केन्द्र सरकार, अधिसूचना जारी कर, एडीडी लगा सकती है। इसके अनुसार, दिनांक 17 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 41/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत निर्धारित दरों पर भारत में आयातित स्विटजरलैंड तथा चीन के पीपुल्स रिपब्लिक से निर्यातित या उद्भूत सीटीएच 3204 या 3206 के अधीन वर्गीकृत ' डीकेटोपाइलरोलो पाइरोले पीगमैण्ड रेड 254 (डीपीपी रेड 254) पर एडीडी लगाई थी।

15 अगस्त 2015 से 28 फरवरी 2018 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय, न्हावा शेवा-V, मुम्बई जोन-II के द्वारा, ₹8.25 करोड़ के मूल्य के 84 परेषण के अन्तर्गत 'डीपीपी रेड 254' आयात किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹3.04 करोड़ के मूल्य के आयातों सहित 40 बीई की नमूना जाँच की तथा ₹1.43 करोड़ मूल्य के आयातों सहित 16 बीई में ₹57.45 लाख की एडीडी राशि का अनुद्ग्रहण दर्शाया था।

मैसर्स 'एस' लिमिटेड तथा एक अन्य ने सीटीएच 32041739 के अंतर्गत चीन से 'डीपीपी रेड 254' के 16 परेषणों का आयात किया था। सीटीएच 32041739 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2015 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर एडीडी लगाया। हालांकि, ₹57.45 लाख की रशि के एडीडी का विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसे लागू ब्याज के साथ वसूली की जानी चाहिए थी।

यह दर्शाए जाने पर (मार्च 2018), विभाग ने आयातक को एक कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया था (अप्रैल 2018) आगे प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

यह भी देखा गया था कि प्रणाली द्वारा इन बीई को यह बताते हुए मंजूरी दी गई थी कि ये सत्यापन के लिए आरएमएस द्वारा चिन्हित नहीं की गई थी। बीई डेटा में सीटीएच, वस्तु विवरण, मूलदेश तथा आपूर्तिकर्ता के नाम के बावजूद आरएमएस ने नमूना जांच की गई 40 बीई में से 16 बीई में एडीडी के अनुद्ग्रहण को नहीं दर्शाया। यह आरएमएस के डिजाइन में कमी दर्शाता है। इस प्रणालीगत चूक का सुधारने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.12 डीसी द्वारा प्रभारों की कम/गैर उद्ग्रहण

सेज की अध्यक्षता, संबद्ध सीमा शुल्क व मंत्रालियक स्टाफ के साथ डीसी (संयुक्त सचिव/निदेशक/केन्द्र में उप सचिव स्तर) के द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार एक या अधिक सेज {सेज अधिनियम की धारा 11(1)} में डीसी को नियुक्त करती है। केन्द्र सरकार सेज में डीसी के कार्यो के निष्पादन में सहायता के लिए ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त करती है {(सेज अधिनियम की धारा 11(2)}। ऐसे पदों की लागत वहन करना डेवलपर[62] के लिए अनिवार्य है जो लागत वसूली आधार पर बनाई गई है। वाणिज्यिक विभाग (सेज

[62] "डेवलपर" का अर्थ उस व्यक्ति से, या राज्य सरकार से है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (10) के तहत अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है और इसमें एक प्राधिकरण और एक सह-डेवलपर शामिल है ।

डिविजन) के आदेश संख्या एफ. सं. ए-1/3/2008-सेज दिनांक 6 सितम्बर 2010 के संदर्भ में, डीसी किसी भी अधिकारी की रिपोर्ट पर, आधे वर्ष या अन्य भाग के लिए प्रत्येक अधिकारी के प्रति अस्थायी वसूली की गणना करेगा, तथा इसकी सूचना डेवलपर को देगा। डेवलपर मांग के 15 दिनों के अंदर उसे भेजेगा। भुगतान में देरी पर 12 प्रतिशत की दर पर दण्डिक ब्याज आवश्यक होगा। इसके आलावा, समय पर भुगतान करने में डेवलपर की विफलता के परिणामस्वरूप अधिकारियों का प्रत्याहार हो सकता है जबतक कि ब्याज सहित भुगतान नहीं हो जाता।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ₹15.24 करोड़ के राजस्व वाले सीप्ज-मुम्बई, नोएडा सेज तथा आईसीडी, अंकलेशवर में ईकाइयों से लागू स्थापना तथा अन्य प्रभारों के गैर-वसूली के पाँच मामलों का पता चला। ₹5.51 करोड़ वाले चार मामलो को स्वीकार किया गया तथा तीन मामले में ₹1.98 करोड़ की वसूली की गई थी।

तीन मामलों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है तथा शेष दो मामलों का **अनुबंध 11** में उल्लेख किया गया है।

4.12.1 डेवलपर से लागत वसूली प्रभारों तथा ब्याज की उगाही न होना

डीसी,एनएसईजेड़ के लागत वसूली प्रभारों से संबंधित रिकार्ड की लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी 2018) से पता चला कि अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 के दौरान सात[63] डेवलपरों द्वारा ₹90.73 लाख राशि की सीआरसी का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, डेवलपर लागू ब्याज के साथ ₹90.73 लाख तक के भुगतान न किए गए सीआरसी के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 13 डेवलपरों[64] ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान 4 दिनों से 630 दिनों की देरी से सीआरसी का भुगतान किया था। इसीलिए, ये डेवलपर सीआरसी के देरी से भुगतान पर ₹9.83 लाख की राशि का ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

---

[63] (1) एस-1 लिमिटेड, नई दिल्ली, (2) एस-2 लिमिटेड, वर्ली, मुंबई, (3) एस-3 लिमिटेड, नई दिल्ली, (4) एस-4 लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (5) एस-5 लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (6) एस-6 लिमिटेड, लोअर परेल, मुंबई, (7) एस-7 लिमिटेड, बंगालोर।

[64] (1) एसएस-1 लिमिटेड, (2) एसएस-2, लिमिटेड, नई दिल्ली, (3) एसएस-3, लिमिटेड, वर्ली, मुंबई, (4) एसएस-4, लिमिटेड, नई दिल्ली, (5 एसएस-5, लिमिटेड, (6) एसएस-6, लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, (7) एसएस-7, लिमिटेड, बैंगलोर, (8) एसएस-8, लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (9) एसएस-9, लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, (10 एसएस-10, लिमिटेड, नई दिल्ली, (11) एसएस-11, लिमिटेड, लोअर परेल, मुंबई, (12) एसएस-12, लिमिटेड और (13) एसएस-13, लिमिटेड, बैंगलोर।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पता चला कि विभाग ने 12 दिनों से 138 दिनों की देरी[65] के साथ डेवलपर से सीआरसी की माँग की थी, जिससे सीआसी के जमा करने में देरी हुई।

हालांकि, डेवलपर द्वारा समय पर सीआरसी का भुगतान नहीं किया गया था; विभाग ने डेवलपर से सीआरसी के देरी से भुगतान पर ब्याज तथा भुगतान न किए गए सीआरसी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2018), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित पूरी राशि की वसूली की सूचना दी (जून/नवम्बर 2018 तथा फरवरी 2020)।

4.12.2 फायर स्टेशन की देखरेख के लिए फायर उपकर का अनुद्ग्रहण

सेज अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार, यह प्रत्येक सेज प्राधिकरण (प्राधिकरण) का कर्तव्य होगा कि वह सेज के विकास, संचालन तथा प्रबंधन के लिए उपयुक्त ऐसे उपाय करे, जिसके लिए यह गठित है। यह भी प्रावधान है कि अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकरण, उसकी संबंधित संपतियों के उपयोग के लिए, फीस या किराया लेगा अथवा सामान्य सेवाएं प्रदान करने पर खर्च करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क या सेवा शुल्क लगाएगा।

एमओसीआई, भारत सरकार, ने सशक्त समिति के माध्यम से वर्ष 2009-10 के दौरान ₹5.20 करोड़ की कुल लागत के साथ एसईडीपीजेड़-सेज मुम्बई में चौबीस घंटे कर्मियों के साथ-साथ, एक एम्बुलेंस तथा एक फायर इजंन के साथ एक फायर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। यह काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को सौंपा गया था। फायर स्टेशन का निर्माण कार्य ₹2.83 करोड़ के व्यय के बाद पूरा हुआ था (सितम्बर 2011)।

एमआईडीसी ने ₹1.16 करोड़ के फायर स्टेशन के वार्षिक रखरखाव के लिए सभी यूनिट धारको से ₹0.25 प्रति वर्ग फुट (प्रयुक्त क्षेत्र 42,54,894.32 वर्ग फुट)[66] प्रति माह की दर से फायर उपकर के उद्ग्रहण के लिए डीसी, एसईईपीजेड-सेज को जानकारी दी थी (फरवरी 2009)। एमआईडीसी ने फायर स्टेशन के संचालन तथा रखरखाव के लिए एमआईडीसी की प्रतिपूर्ति न करने के संबंध में आवर्ती खर्चो की प्रतिपूर्ति न करने के संबंध में प्राधिकरण को दोबारा लिखा (फरवरी 2017)। एमआईडीसी द्वारा जुलाई 2011 से

[65] देरी की गणना प्रत्येक छमाही के बाद के महीने के 15 दिन से की गई है ।

[66] 395293 वर्ग मीटर X 10.7639=4254894.32 वर्ग फीट

जनवरी 2017 की अवधि के लिए ₹3.61 करोड़ की राशि के प्रभार माँगे गए थे।

लेखापरीक्षा में सीप्ज-प्राधिकरण द्वारा दिए गए मासिक बिलो से पता चला कि फायर उपकर का शुरू फायर स्टेशन के निर्माण के आठ वर्षों के बाद भी उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹9.57 करोड़[67] के फायर उपकर की वसूली नहीं हुई।

इस विषय में बताए जाने पर (जनवरी 2018) प्राधिकारी ने कहा (जून 2018) कि उसने 1 अप्रैल 2017 से फायर उपकर के उद्ग्रहण को अनुमोदित कर दिया था तथा इसके अनुसार बिल सीप्ज सेज में सभी यूनिटों को जारी किए जाएंगे। आगे जानकारी दी गई थी कि फायर उपकर के उद्ग्रहण का प्रस्ताव 11 मई 2018 को हुई बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था तथा 1 अप्रैल 2017 से फायर उपकर के उद्ग्रहण के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी (जुलाई 2018)।

मंत्रालय को केवल मई 2018 में इस प्रस्ताव को लाने के लिए प्राधिकरण के कारणों की सूचना देने तथा इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने का अनुरोध किया था (मई 2020)। हालांकि एमआईडीसी ने इसे फरवरी 2009 में इस उद्ग्रहण के बारे में जानकारी दी थी तथा फायर स्टेशन सितम्बर 2011 से संचालन में था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

4.12.3 वापस न किए गए तथा समाप्त गेट पास के लिए जुर्माने की उगाही न करना

डीसी, सीप्ज-सेज, मुम्बई द्वारा जारी परिपत्र 4 दिनांक 14 मई 2015 से सीप्ज-सेज में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी तथा दैनिक गेट पास जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह निर्धारित किया गया है कि युनिट वैधता अवधि की समाप्ति/कर्मचारी को हटाने/कर्मचारी के त्यागपत्र के बाद गेट पास काउंटर पर तुरंत गेट पास वापस करेगी। 30 दिनों में गेट पास वापस न करने पर ₹1000/₹500 (1 अगस्त 2017 के बाद) प्रति गेट पास की अधिकतम शास्ति लगाई जाएगी, जिसे उस इकाई से वसूल किया जाता है।

[67] (0.25*4254894.32*90) = ₹957.35 लाख

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि सीप्ज-सेज प्राधिकार, मुम्बई द्वारा कर्मचारियों/यूनिटों को जारी 26,674 गेट पास 1 अगस्त 2017 को या पहले समाप्त हो गए, परन्तु सुरक्षा अनुभाग को सौंपे नहीं गए। इसके अलावा, वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात भी 1 अगस्त 2017 को समाप्त हुए 17,235 गेट पास भी सौंपे नहीं गए। इस प्रकार, वैध अवधि के पश्चात/कर्मचारी को हटाने/कर्मचारी के त्याग पत्र के पश्चात भी गेट पास को वापस न करने पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार संबंधित इकाईयों के विरूद्ध ₹3.53 करोड़[68] का जुर्माना नहीं लगाया गया/सौंपे नहीं गए। समाप्त गेट पासो के गलत प्रयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2018), सीप्ज प्राधिकरण ने बताया (मार्च 2018) कि समाप्त हो चुके गेट पास को वापस न करने पर इकाईयो को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी तथा उक्त प्रक्रिया में पास देरी से जमा करने या वापस न करने के मामले में शास्ति भाग भी शामिल होगा। यह कहा गया कि इस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्वचालित माड्यूल विकसित किया जा रहा था ताकि सौंपे न जाने पर या विलंब से प्रस्तुत करने के लिए नोटिस वास्तविक समय पर दिए जा सके। इस मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2020)।

4.13 निष्कर्ष

इस अध्याय आयातों के निर्धारण में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए वर्तमान अधिसूचनाओं, लागू सीमा शुल्क, शुल्क तथा उद्ग्रहण के अननुपालन के 85 मामले दर्शाए गए है। ₹69.59 करोड़ का राजस्व छूट अधिसूचनाओं के गलत लागू करने, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण या लागू शुल्कों तथा अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण के कारण शुल्क के गैर/कम उद्ग्रहण के कारण जोखिम में था।

मंत्रालय/विभाग ने 70 मामलों को स्वीकार किया है तथा इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय तक ₹24.90 करोड़ की वसूली की। मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय 15 मामलो में प्रतीक्षित था।

यद्यपि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क की वसूली के लिए सुधारात्मक कार्यवाई की थी, परन्तु यह पाया गया कि ये केवल कुछ उदाहरण के मामले थे। यह पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी गलतियां, जो आरएमएस

[68] (26674 x ₹1000)+(17235x ₹500)= ₹3,52,91,500

आधारित निर्धारण में हो या मैन्युल निर्धारण में हो, दुसरे अन्य मामलो में भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने, जहाँ लागू हो, वर्ष 2017-18 के लिए आयात डेटा को प्रयोग कर समान लेनदेन के कुल मामलों को सुनिश्चित कर राजस्व के संभावित जोखिम को मापने करने का प्रयास किया था। विश्लेषण से 58 पोर्ट के माध्यम से आयातित ₹163 करोड़ वाले 4,106 बीई में गलत वर्गीकरण, आईजीएसटी का गैर/कम उद्ग्रहण, गलत अधिसूचना लाभ देने का पता चला। विभाग को सीबीआईसी डेटा के विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा द्वारा परिमाणित मामलो सहित सभी लेनदेन, जो राजस्व की हानि के जोखिम पर हो सकते है, की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

यह ध्यान देने के लिए प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में जाँच की गई बड़ी संख्या में बीई को आरएमएस के द्वारा निर्धारित किया गया था जो दर्शाता है कि प्रणाली आधारित निर्धारणों को सुगम बनाने के लिए आरएमएस द्वारा चित्रित निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों के अद्यतन तथा चित्रण करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी आवश्यक है।